B.A- Part 2 Hons

TOPIC: Maximum Social Advantages

Dr Kumari Manju
H.O.D. Economics
R.N.C.

इस सिद्धान्त के अनुसार समाज को अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होगा जब कर से उत्पन्न सीमान्त अनुपयोगिता अथवा त्याग सार्वजनिक व्यय से मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता अथवा लाभ के बराबर हो जाये।

वर्तमान समय में "अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त" राजस्व के आधारभूत सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके प्रतिपादक Dalton, Pigou तथा Musgrave थे। Dalton के अनुसार "राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है, जिसमें राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है।" प्रो० Pigou ने इसे 'अधिकतम कुल कल्याण का सिद्धान्त' (Principal of Maximum Aggregate Welfare) कहा है। Musgrave ने इसे 'बजट निर्धारण के अधिकतम कल्याण का सिद्धान्त' (Maximum Welfare Principle of Budget Determination) कहा है क्योंकि Musgrave ने इस बात को स्पष्ट ~~किया~~ किया था कि राजस्व में आय-व्यय की सीमा के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। वहीं वैगनर ने इसे 'सामाजिक कल्याण का सिद्धान्त (Principle of Social Welfare)' का नाम दिया है।

अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के कथन को तीन भागों में विभाजित कर समझ सकते हैं: (1) <u>आय एवं व्यय की सीमा</u>: सार्वजनिक व्यय को उस बिन्दु तक ले जाना चाहिए जिस बिन्दु पर व्यय की अन्तिम इकाई से जनता को मिलने वाली उपयोगिता कर की मुद्रा के लिए सरकार द्वारा लगाये गये कर की अन्तिम इकाई से होने वाली कष्ट या त्याग के बराबर हो जाये अर्थात जिस बिन्दु पर सार्वजनिक व्यय की सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) कराधान के सीमान्त त्याग (Marginal Sacrifice) के बराबर हो जाये।

(2) <u>सार्वजनिक व्यय का आवंटन</u>: विभिन्न कार्यों या मदों पर सार्वजनिक व्यय का आवंटन इस प्रकार करना चाहिए, जिससे विभिन्न मदों पर व्यय की अन्तिम इकाई से जनता को मिलने वाली उपयोगिता समान हो अर्थात सम-सीमान्त उपयोगिता की स्थिति हो। इस स्थिति को सार्वजनिक व्यय के अनुकूलतम आवंटन की स्थिति भी कहते हैं।

(3) <u>करों का विभाजन</u>: करों की कुल राशि को विभिन्न स्रोतों या व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित करना चाहिए, जिससे विभिन्न व्यक्तियों को कर की अन्तिम इकाई से होने वाला कष्ट समान हो अर्थात सम-सीमान्त त्याग की स्थिति हो जाये। इसे करों के अनुकूलतम वितरण की स्थिति भी कहते हैं।

सिद्धान्त को निम्न रूप से भी स्पष्ट किया जा सकता है: (1) <u>आय और व्यय की सीमा</u>: राजकीय आय और व्यय की सीमा के सम्बन्ध में डाल्टन ने स्पष्ट किया है कि राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि किसी भी दिशा में तनिक सी वृद्धि से समाज को होने वाला लाभ किसी अन्य साधन से सार्वजनिक आय में हुई उतनी ही तनिक-सी वृद्धि की हानि के बराबर न हो जाय। यह सीमा ही राजकीय आय-व्यय की आदर्श सीमा है। इसे इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है कि सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय से समाज को उपयोगिता या संतुष्टि (Utility or Satisfaction) प्राप्त होती है। दूसरी ओर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों से समाज को त्याग (Sacrifice) करना पड़ता है। अतः सरकार द्वारा अपने व्यय और उसको पूरा करने के लिए कर उस सीमा तक ले जाने चाहिए जिस सीमा तक व्यय की सीमान्त उपयोगिता करों से होने वाले सीमान्त त्याग के बराबर हो जाय। यदि इस सीमा से अधिक कर लगाये जाते हैं, तो जनता को राजकीय व्यय से मिलने वाली उपयोगिता की तुलना में कर देने से होने वाला कष्ट ~~से कम होगा~~ अधिक होगा। इसके विपरीत यदि कर इस सीमा से कम लगाये जाते हैं तो जनता को कष्ट तो कम होगा, लेकिन जनता उन लाभों तथा राजकीय सुविधाओं से वंचित रह जायेगी, जो अधिक कर लगाने से प्राप्त होने वाली आय को सार्वजनिक हित में व्यय करने से होता। इसे रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है →

Scanned with CamScanner

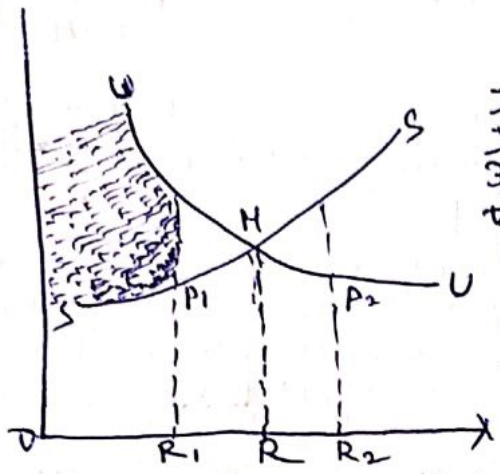

चित्र में UU वक्र राजकीय व्यय (Public expenditure) में समाज को प्राप्त होने वाली उपयोगिता (Utility) को प्रदर्शित करती है इस वक्र की प्रवृत्ति नीचे की ओर झुकती हुई है क्योंकि राजकीय व्यय की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से समाज को प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है SS वक्र करों से जनता को होने वाले त्याग को प्रदर्शित करता है यह वक्र ऊपर की ओर उठ रहा है क्योंकि सरकार जैसे-जैसे कर की मात्रा बढ़ती जाती है, समाज को कर से होने वाली सीमान्त त्याग क्रमशः बढ़ता चला जाता है। दोनों वक्र एक दूसरे को H बिन्दु पर काटते हैं, जो साम्य बिन्दु है। यह बिन्दु यह स्पष्ट करता है कि सरकार को अपनी आय और व्यय की क्रियाओं को OR सीमा तक ले जाना चाहिए। क्योंकि इस सीमा तक सीमान्त त्याग और सीमान्त उपयोगिता (MR) बराबर है। यदि सरकार इससे कम अर्थात OR₁ कर लगाती है, तो सीमान्त त्याग P_1R_1 तथा सीमान्त उपयोगिता M_1R_1 होगी, अर्थात सीमान्त उपयोगिता सीमान्त त्याग से H_1P_1 अधिक होगी। ऐसी स्थिति इस बात को प्रेरित करेगी कि अभी और लगाए जाएँ, जिससे सरकार अपने व्ययों को बढ़ाकर समाज की और अधिक सुविधाएँ प्रदान कर सके। इसके विपरीत यदि करों की राशि OR_2 सीमा तक ले जाई जाती है तो इस सीमा तक सीमान्त उपयोगिता P_2R_2 तथा सीमान्त त्याग H_2R_2 होगा, अर्थात सीमान्त त्याग सीमान्त उपयोगिता से H_2P_2 अधिक होगा। इस स्थिति को कायम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसके अन्तर्गत समाज को अधिकतम शुद्ध सामाजिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः सरकार को अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने आय और व्यय की क्रियाओं को OR बिन्दु पर लाने का ही प्रयास करना चाहिए।

(2) सार्वजनिक व्यय को विभिन्न मदों पर अधिकतम सामाजिक लाभ को किस प्रकार बाँटा जाए इसे निम्न रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

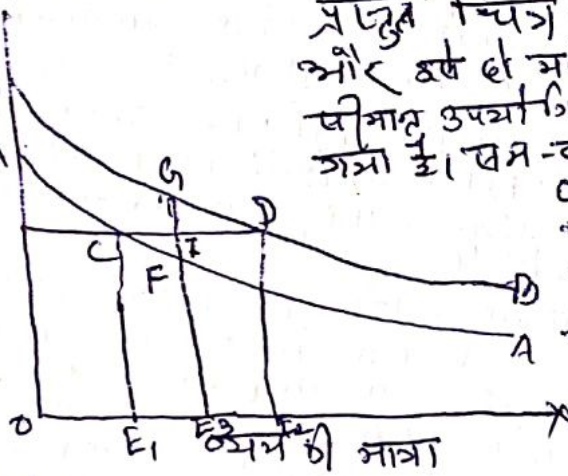

प्रस्तुत चित्र काल्पनिक है सरकार को कुल OE व्यय करना है और इसे दो मदों A और B में विभाजित करना है जिनकी सीमान्त उपयोगिता को क्रमशः AA और BB वक्रों द्वारा दिखाया गया है। सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के आधार पर सरकार OE_1 राशि A मद तथा OE_2 राशि B मद पर व्यय करेगी क्योंकि ऐसा करने पर दोनों मदों से मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता CE_1 और DE_3 बराबर होगी तथा समाज को अधिकतम लाभ मिलेगा। इसी बिन्दु पर अधिकतम सामाजिक लाभ की पुष्टि के लिए यह विकल्प माना गया है कि यदि सरकार A मद पर व्यय को OE_1 से बढ़ाकर OE_3 तथा B मद पर व्यय को OE_2 से घटाकर OE_3 कर दे तो क्या स्थिति होगी। स्पष्ट है कि A मद पर बढ़ने वाले व्यय से बढ़ने वाली उपयोगिता का क्षेत्र B मद पर व्यय कम करने से उपयोगिता में होने वाली कमी GE_3E_2D से कम है अर्थात सरकार सम-सीमान्त उपयोगिता ~~में होने वाली कमी~~ की स्थिति में कोई परिवर्तन करेगी, तो समाज को मिलने वाली उपयोगिता अधिक नहीं होगी।

(3) करों को विभिन्न साधनों से किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए- इसके लिए भी सम-सीमान्त त्याग के सिद्धान्त का सहारा लेना होगा, अर्थात करों का भार विभिन्न स्रोतों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि प्रत्येक स्रोत का सीमान्त त्याग समान हो जाए, जिससे समाज द्वारा किए जाने वाले कुल त्याग की मात्रा न्यूनतम रह सके। करों के विभाजन की व्यवस्था निम्न चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -

Scanned with CamScanner

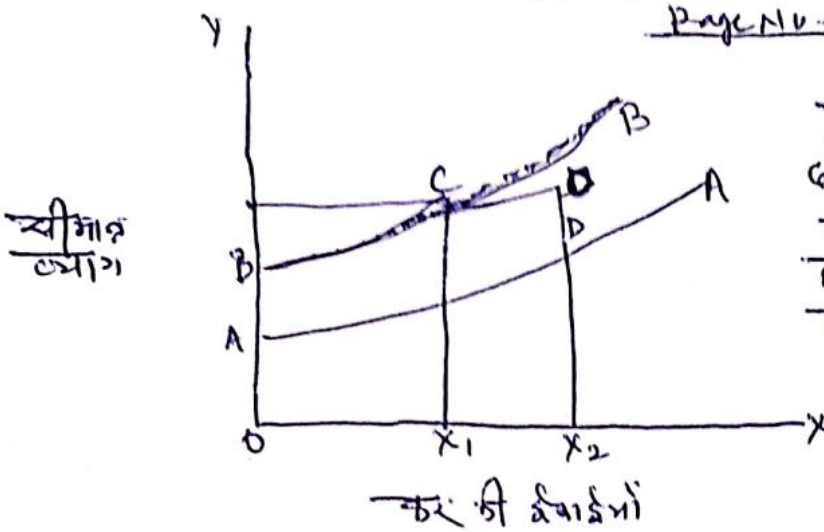

प्रस्तुत चित्र में A A रेखा और B B रेखा दो करदाताओं के सीमान्त त्याग को दर्शाती है दोनों के कुल त्याग को न्यूनतम रखने की दृष्टि से B पर OX_1 तथा A पर OX_2 राशि के बराबर कर लगाया जायेगा, क्योंकि ऐसा करने पर दोनों करदाताओं का सीमान्त त्याग CX_1 और DX_2 समान है।

सिद्धान्त की सीमायें: (1) उपयोगिता और अनुपयोगिता के माप की कठिनाई - अधिकतम सामाजिक लाभ का बिन्दु है, जहाँ करों द्वारा होने वाली सीमान्त अनुपयोगिता तथा राजकीय व्यय से होने वाली सीमान्त उपयोगिता समान होती है, लेकिन व्यवहार में ऐसी उपयोगिता और अनुपयोगिता की मापना कठिन होता है। (2) आय और व्यय का सम्बन्ध: सरकारी वित्त व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें प्रायः व्यय की राशि पहले निर्धारित की जाती है और फिर आय के साधन जुटाये जाते हैं किन्तु यदि आवश्यक मात्रा में कर प्राप्त न हो, तो या तो अनुत्पादक व्यय में व्यय में कटौती कर दी जाती है अथवा घाटे की वित्त-व्यवस्था को अपनाया जाता है। (3) वर्तमान त्याग और भावी उपयोगिता की समस्या: अनेक सार्वजनिक व्यय भविष्य अथवा दीर्घकालीन दृष्टिकोण से किए जाते हैं, यह बात विकास वित्त पर विशेष रूप से लागू होती है, जनता पर कर भार तत्काल पड़ता है, अतः भविष्यकालीन लाभ तथा वर्तमान त्याग के आधार पर अधिकतम सामाजिक लाभ का अनुमान लगाना गलत है।

(4) करारोपण के अच्छे प्रभाव: इस सिद्धान्त में यह मान लिया गया है कि करारोपण से हमेशा समाज को कष्ट ही होता है। यदि हानिकारक वस्तुओं पर कर लगाकर उनके उपभोग को नियंत्रित किया जाये तो समाज को कष्ट के स्थान पर उपयोगिता मिल सकती है।

(5) राजस्व क्रियाओं पर विविध गैर-आर्थिक घटकों का प्रभाव - यदि हम यह मान भी लें कि उपयोगिता और त्याग का माप और उनकी तुलना सम्भव है तो भी इस सिद्धान्त के व्यावहारिक प्रयोग में कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि राजस्व की क्रियायें अनेक गैर-आर्थिक, व्यक्तिगत और राजनैतिक घटकों से प्रभावित होती हैं।

निष्कर्ष: डाल्टन के अनुसार "यह सिद्धान्त सरल है, स्पष्ट है कि शोधपूर्ण है, लेकिन उसको व्यवहार में प्रयोग करना उतना ही कठिन है।" यद्यपि इस सिद्धान्त के कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, लेकिन यह सिद्धान्त लोक-वित्त के क्रियाओं के लिए मार्गदर्शक है। तथा इस बात पर जोर देता है कि बजट का नियोजन अधिकाधिक कुशलता के लाभ करता है।